UPBJ010049112025

न्यायालय–अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर

सत्रवाद सं0– 1630/2025
सरकार बनाम भूपेन्द्र आदि

अन्तर्गत धारा 308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना नूरपुर, जिला बिजनौर।
(मु0अ0सं0–457/2023)

09–10–2025

वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्तगण **मिथुन, आलोक व शिवचरन** उपस्थित। आज पत्रावली वास्ते आरोप विरचन नियत है।

आरोप के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी में अंकित किये गये साक्षीगण के बयानात एवं एकत्रित किये गये सबूतो के आधार पर अभियुक्तगण मिथुन, आलोक व शिवचरन के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 308/34, 452, 323/34, 324/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्तगण मिथुन, आलोक व शिवचरन के विरूद्ध उक्त धारा के दण्डनीय अपराध में आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 12–11–2025 को पेश हो। साक्षी जरिये सम्मन तलब हो।

दिनांकः–09–10–2025

(सुबोध सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।
JO CODE UP–6329

CNR N0-UPBJ010049112025

न्यायालय–अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर

सत्रवाद सं0– 1630/2025
सरकार बनाम भूपेन्द्र आदि

अन्तर्गत धारा 308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर।
(मु0अ0सं0–457/2023)

–आरोप–

मै, सुबोध सिंह, अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर आप **मिथुन, आलोक व शिवचरन** पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूॅं:–

प्रथम– यह कि दिनांक 14–11–2023 समय लगभग 8.300 बजे शाम बहद ग्राम धौलागढ़ उर्फ इब्राहीमपुर, अन्तर्गत क्षेत्र थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह को जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर घातक हथियारों से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई। यदि इस कार्य से मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308/34 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह के घर में, उसको व उसके परिजनों को उपहति कारित करने हेतु घर में घुस कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह, वादी की बहन ललिता व माता सुशीला देवी को डन्डों आदि से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह, वादी की बहन ललिता व माता सुशीला देवी को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार

आपने ऐसा कार्य किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह, वादी की बहन ललिता व माता सुशीला देवी को साशय अपमानित करने के उद्देश्य से गन्दी–गन्दी गालियां देकर अपमानित किया, जिसके प्रकोपन स्वरूप लोक शान्ति भंग होना सम्भव थी। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह, वादी की बहन ललिता व माता सुशीला देवी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांकः–09–10–2025

(सुबोध सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।
JO CODE UP–6329

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण चाहा।

दिनांकः–09–10–2025

(सुबोध सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।
JO CODE UP–6329

Digitally signed by Subodh Singh
Date: 2025.10.09 15:51:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court